



2026:AHC:67323

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत सं - 9088 वर्ष 2026

विनीत कुमार और अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: करुणेश नारायण त्रिपाठी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 77

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदकों के लिए अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन को केस संख्या-31 वर्ष 2026 (राज्य बनाम विनीत और अन्य) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जो केस अपराध संख्या-250 वर्ष 2024 से धारा 420, 406, 504, 506 भ०द०वि०, पीएस-जीवमुक्तेश्वर, जिला हापुड़ के तहत उत्पन्न होता है और दीवानी न्यायाधीश (जे.डी.) /न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ और आरोप पत्र दिनांक 8.1.2025 द्वारा पारित 14.01.2026 के समन आदेश को रद्द करता है।
3. आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोपपत्र को संज्ञान/समन आदेश और प्रस्तुत मामले की पूरी कार्यवाही के साथ इस आधार पर चुनौती दी है कि दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2024 10 एस.सी.सी. 690 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के प्रस्ताव के अनुसार धारा 420 भ०द०वि० और 406 एक साथ एक साथ नहीं चल सकती है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"38. हमारे विचार में, शिकायत का सादा पठन ऊपर उल्लिखित किसी भी उपरोक्त सामग्री को स्पष्ट करने में विफल रहता है। हम केवल पुलिस के साथ-साथ अवर न्यायालयों के मन में कानून की एक गंभीर गलत धारणा को दूर करने की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि यदि यह शिकायतकर्ता का मामला है कि धारा 405 भ०द०वि० के तहत परिभाषित आपराधिक विश्वासघात का अपराध, धारा 406 भ०द०वि० के तहत दंडनीय, आरोपी द्वारा किया जाता है, तो साथ ही यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने धारा 415 भ०द०वि० में परिभाषित और समझाया गया धोखा देने का अपराध भी किया है, जो धारा 420 भ०द०वि० के तहत दंडनीय है।

41. अनुबंध के केवल उल्लंघन और आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर एक जुर्माना है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे पर गौर किया जाना चाहिए, जिसे बाद के आचरण द्वारा आंका जा सकता है, लेकिन इसके लिए, बाद का आचरण एकमात्र परीक्षण नहीं है। अनुबंध का केवल उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत से ही धोखाधड़ी या बेईमान इरादा नहीं दिखाया जाता है यानी वह समय जब अपराध किया गया कहा जाता है। इसलिए, यह इरादा है, जो अपराध का सार है।

43. आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच अंतर है। धोखाधड़ी के लिए, झूठे या भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के समय यानी शुरुआत से ही आपराधिक इरादा आवश्यक है। आपराधिक विश्वास के उल्लंघन में, सौंपने का केवल प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के मामले में, अपराधी को कानूनी रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और उसने बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को वितरित करने के लिए धोखा देकर धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ नहीं रह सकते हैं।



55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून में उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि धोखाधड़ी के अपराध और आपराधिक विश्वासघात के बीच के अंतर को समझा जा सके। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग हैं। दोनों अपराध एक ही तरह के तथ्यों में एक साथ नहीं रह सकते। वे एक दूसरे के विरोधी हैं। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के ये दोनों प्रावधान ऐसे जुड़वां नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते।

4. दूसरी ओर, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदकों के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए कानून के स्थापित प्रस्ताव पर विवाद करने में असमर्थ है।

5. चूंकि, आवेदक के इशारे पर केवल कानूनी तर्क उठाया गया है, इसलिए प्रतिपक्षी संख्या-2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया एतद्वारा समाप्त कर दी जाती है।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख का अवलोकन करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) प्रकरण में दिए गए निर्णय का परीक्षण करने के पश्चात यह स्पष्ट रूप से प्रतिपन्न होता है कि दोनों धाराएँ अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 406 एक साथ समान रूप से लागू नहीं हो सकतीं। अतः, वर्तमान वाद के अन्य गुण-दोषों में हस्तक्षेप किए बिना, दीवानी जज (कनिष्ठ श्रेणी)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ द्वारा वाद संख्या 31 सन् 2026 (राज्य बनाम विनीत एवं अन्य), जो कि अपराध संख्या 250 सन् 2024, धारा 420, 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना-गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ से उत्पन्न है, में पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 14.01.2026 को केवल वर्तमान आवेदक/आवेदकों के संबंध में निरस्त किया जाता है।

प्रकरण को पुनः दीवानी जज (कनिष्ठ श्रेणी)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे, यदि आवश्यक हो, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) प्रकरण में स्थापित विधिक सिद्धांत के आलोक में अपराध के संज्ञान ग्रहण करने के संबंध में नवीन आदेश पारित करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

मार्च 30, 2026

शास्वत

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।